। सरकार
प–6)विभाग

प0क:–6(54)रजा–6/2001/पाट/ 2 | जयपुर, दिनांकः 23.01.2007.

समस्त सम्भागीय आयुक्त,
राजस्थान।
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

राजस्व विभाग के परिपत्र 6(54)राज–6/2001पार्ट/21 दि0 19.11.2005 के बिन्दु न. 4 में आपसी समझौते (अपंजीकृत या पंजीकृत)के आधार पर किसी व्यक्ति या कम्पनी के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और न ही 90–बी की कार्यवाही की जा सकेगी, का उल्लेख किया गया है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 में अधिसूचना दि0 17.6.99 से 90–बी जोड़ी गई थी जिसके अनुसार किसी नगरीय क्षेत्र की नगरीय सीमा या पेराफैरी बेल्ट में कृषि प्रयोजनों के लिए कोई भी भूमि धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति ने ऐसी भूमि या उसके भाग का अकृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है या उसके भाग के अकृषिक उपयोग के लिए विक्रय या विक्रय इकरार के रूप में या मुख्त्यारनामा का वसीयत निष्पादित करके या अन्य किसी भी रीति के कब्जे में है, ऐसी स्थिति में यदि टीनेन्ट या जमीन जिसके कब्जें में है या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति कलेक्टर को इस आशय का प्रार्थना पत्र देता है कि वह राज्य सरकार को अपनी भूमि विकास के लिए जैसे आवास, व्यवसायिक, संस्थागत अथवा औधोगिक, सिनेमा, पेट्रोल पम्प इत्यादि के लिए समर्पित करने के लिए इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति उसके अधिकारों के सरेन्डर को स्वीकार करने के पश्चात् उस व्यक्ति को योजनाबद्ध विकास के लिए जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी और स्थानीय निकाय के नियम तथा बायलॉज के अनुसार आवास, व्यवसायिक, संस्थागत अथवा औधोगिक, सिनेमा, पेट्रोल पम्प इत्यादि का विकास किया जा सकेगा।

राजस्व विभाग के परिपत्र दि0 19.11.05 से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी जो दिनांक 17.6.99 से प्रभाव में आयी है, उसके पहले किसी आपसी समझौते के आधार पर कृषि भूमि का आवास, व्यवसायिक अथवा औधोगिक प्रयोजनार्थ नियमन स्थानीय निकायों द्वारा किया जा सकता है लेकिन राजस्व विभाग के परिपत्र दि0 19.11.05 के अनुसार 17.6.99 के बाद आपसी समझौते आदि के आधार पर 90–बी की कार्यवाही नहीं की जा सकती।राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–बी में जो प्रावधान का वर्णन किया उसको ही अधिक स्पष्ट करने के लिए राजस्व(ग्रुप–6)विभाग द्वारा दि0 19.11.05 जारी किया गया है। नये रूप में कोई भी प्रावधान नहीं जोड़ा गया है।

23.1.2007
(के0जी0अग्रवाल)
उप शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव मा. मुख्य मंत्री जी
2. विशिष्ठ सहायक माननीय राजस्व मंत्री
3. नि.स. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/ शासन सचिव, राजस्व
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर
5. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय.
6. रक्षित पत्रावली.

23.1.2007
उप शासन सचिव, राजस्व